

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एस-240 / 2019 /

दिनांक:-

अधीक्षक,

पी0बी0एम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग


बीकानेर ।

विषय:- श्रीमती सोजीमोल कुरीयन, नर्स-2(पातेयवेतन) के अवकाश प्रकरण बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 33478 दिनांक 20.12.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि श्रीमती सोजीमोल कुरीयन, नर्स-2(पातेयवेतन) के अवकाश स्वीकृत सम्बन्धी प्रकरण में कार्मिका के हक में 95 दिवस उपार्जित अवकाश तथा 20 दिवस का अर्द्धवेतनिक अवकाश शेष है तथा कार्मिका ने 03.04.13 से 20.05.13 तक 48 दिवस का अर्द्धवेतनिक अवकाश चाहा है जो अवकाश शेष के अनुसार ही देय है ।

अतः कार्मिका के हक में अवशेष अवकाश शेष के आधार पर ही संशोधित जीए-45 प्राप्त कर अपनी टिप्पणी के साथ भिजवाने का श्रम करें।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11/4/19

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एस-240 / 2019 / 428

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर